राज्‍य सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1111**

दिनांक 09 मार्च, 2017 को उत्‍तर के लिए

**विधवाओं, गरीब तथा वृद्ध महिलाओं के लाभार्थ योजनाएं**

**1111. श्री आर. वैद्यलिंगम:**

क्‍या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार ने हाल के समय में देश में विधवाओं, गरीब तथा वृद्ध महिलाओं की संख्‍या की जनगणना के लिए कोई सर्वेक्षण तथा अनुसंधान किया है और यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ख) क्‍या सरकार विधवाओं, निराश्रित तथा वृद्ध महिलाओं के लाभ हेतु कोई विशेष योजनाएं कार्यान्‍वित कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी विभिन्‍न योजनाओं के लिए विभिन्‍न राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों हेतु आबंटित की गई कुल धनराशि का वर्ष-वार ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

श्रीमती कृष्‍णा राज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍यमंत्री

(क) : राज्‍य के महापंजीयक के द्वारा यथा प्रदत्‍त, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुवार विधवाओं और 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की संख्‍या का विवरण **अनुलग्‍नक-1** पर संलग्‍न है।

(ख) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्‍वाधार गृह स्‍कीम का कार्यान्‍वयन कर रहा है जिसका लक्ष्‍य दुर्भाग्‍पूर्ण स्थितियों की शिकार और पुर्नवास के लिए जिन्‍हें सांस्‍थानिक सहायता की जरूरतमंद महिलाएं हैं ताकि वे सम्‍मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें। स्‍कीम में, कठिन परिस्थितियों की शिकार इन महिलाओं जिनमें विधवाएं, नि:सहाय और वृद्ध महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए आश्रय एवं भोजन, वस्‍त्र और स्‍वास्‍थ्‍य तथा आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की परिकल्‍पना की गई है।

(ग) : पिछले 3 वर्षों में स्‍वाधार/स्‍वाधार गृह स्‍कीम के अंतर्गत आबंटित कुल निधि का वर्षवार विवरण **अनुलग्‍नक-II**  पर संलग्‍न है

**अनुलग्‍नक-I**

**'विधवाओं, गरीब तथा वृद्ध महिलाओं के लाभार्थ योजनाएं' विषय पर श्री आर. वैद्यलिंगम द्वारा दिनांक 09 मार्च, 2017 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1111 के उत्‍तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्‍नक**

**विधवाओं और 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की संख्‍या-जनगणना 2011**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **भारत/राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र**  |  | **महिलाएं**  |
| **विधवाएं**  |  | **आयु 60 और उससे अधिक** |
| **1** | **2** |  | **3** |
| **राज्‍य**  | **43261478** |  | **52777168** |
| राज्‍य - जम्‍मू और कश्‍मीर (01) | 283650 |  | 440076 |
| राज्‍य - हिमाचल प्रदेश (02) | 293475 |  | 362134 |
| राज्‍य - पंजाब (03) | 928158 |  | 1422155 |
| राज्‍य - चंडीगढ़ (04) | 24496 |  | 32245 |
| राज्‍य - उत्‍तराखंड (05) | 387215 |  | 458912 |
| राज्‍य - हरियाणा (06) | 773297 |  | 1105134 |
| राज्‍य - राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली (07) | 456613 |  | 570690 |
| राज्‍य - राजस्‍थान (08) | 1983634 |  | 2679875 |
| राज्‍य - उत्‍तर प्रदेश (09) | 4856188 |  | 7402771 |
| राज्‍य - बिहार (10) | 2238793 |  | 3600552 |
| राज्‍य - सिक्‍किम (11) | 13717 |  | 18280 |
| राज्‍य - अरुणाचल प्रदेश (12) | 31787 |  | 30450 |
| राज्‍य - नागालैंड (13) | 39496 |  | 47947 |
| राज्‍य - मणिपुर (14) | 77990 |  | 100225 |
| राज्‍य - मिजोरम (15) | 28569 |  | 34283 |
| राज्‍य - त्रिपुरा (16) | 164969 |  | 147624 |
| राज्‍य - मेघालय (17) | 84825 |  | 71963 |
| राज्‍य - असम (18) | 1156042 |  | 1023727 |
| राज्‍य - पश्‍चिम बंगाल (19) | 3792184 |  | 3891068 |
| राज्‍य - झारखंड (20) | 1027878 |  | 1174933 |
| राज्‍य - ओडिशा (21) | 1612627 |  | 1990178 |
| राज्‍य - छत्‍तीसगढ़ (22) | 973787 |  | 1075750 |
| राज्‍य - मध्‍य प्रदेश (23) | 2160609 |  | 2943760 |
| राज्‍य - गुजरात (24) | 2015742 |  | 2540958 |
| राज्‍य - दमन प दीव (25) | 6816 |  | 6488 |
| राज्‍य - दादर और नगर हवेली (26) | 7378 |  | 7533 |
| राज्‍य - महाराष्‍ट्र (27) | 4520764 |  | 5853226 |
| राज्‍य - आंध्र प्रदेश (28) | 4297481 |  | 4371913 |
| राज्‍य - कर्नाटक (29) | 2989429 |  | 3043960 |
| राज्‍य - गोवा (30) | 77935 |  | 89180 |
| राज्‍य - लक्षद्वीप (31) | 2448 |  | 2596 |
| राज्‍य - केरल (32) | 2010984 |  | 2309798 |
| राज्‍य - तमिलनाडु (33) | 3856398 |  | 3848532 |
| राज्‍य - पुद्दुचेरी (34) | 73579 |  | 67017 |
| राज्‍य - अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (35) | 12525 |  | 11235 |
|  |  |  |  |

**अनुलग्‍नक –II**

**'विधवाओं, गरीब तथा वृद्ध महिलाओं के लाभार्थ योजनाएं' विषय पर श्री आर. वैद्यलिंगम द्वारा दिनांक 09 मार्च, 2017 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1111 के उत्‍तर के भाग (ग) में संदर्भित अनुलग्‍नक**

 **(रुपये लाख में)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्‍यों के नाम**  | **निर्मुक्‍त की गई राशि** **2013-14** | **निर्मुक्‍त की गई राशि****2014-15** | **निर्मुक्‍त की गई राशि 2015-16** |
| 1 | आंध्र प्रदेश  | 184.77 | 93.78 | 48.21 |
| 2 | असम  | 97.98 | 128.91 | 43.47 |
| 3 | अंडमान व निकोबार  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | अरुणाचल प्रदेश  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | बिहार  | 33.01 | 0 | 0 |
| 6 | चंडीगढ़  | 0 | 0 | 0 |
| 7 | छत्‍तीसगढ़  | 7.17 | 7.00 | 5.26 |
| 8 | दादर और नगर हवेली  | 0 | 0 | 0 |
| 9 | दमन व दीव  | 0 | 0 | 0 |
| 10 | दिल्‍ली  | 0 | 0 | 0 |
| 11 | गुजरात  | 27.75 | 19.20 | 7.58 |
| 12 | गोवा  | 0 | 0 | 0 |
| 13 | हरियाणा  | 9.07 | 0 | 0 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश  | 0 | 0 | 0 |
| 15 | झारखंड  | 7.79 | 28.58 | 6.46 |
| 16 | जम्‍मू और कश्‍मीर  | 20.23 | 5.99 | 17.74 |
| 17 | कर्नाटक | 270.96 | 268.04 | 67.94 |
| 18 | केरल | 16.10 | 20.79 | 0 |
| 19 | लक्षद्वीप  | 0 | 0 | 0 |
| 20 | मध्‍य प्रदेश  | 114.58 | 76.12 | 50.77 |
| 21 | महाराष्‍ट्र  | 301.49 | 279.06 | 35.89 |
| 22 | मिजोरम | 8.64 | 2.51 | 2.48 |
| 23 | मणिपुर  | 148.52 | 106.63 | 47.76 |
| 24 | मेघालय  | 0 | 0 | 0 |
| 25 | नागालैंड  | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ओडिशा  | 16.20 | 104.86 | 269.16 |
| 27 | पंजाब  | 1.80 | 0 | 0 |
| 28 | पुद्दुचेरी  | 0 | 0 | 0 |
| 29 | राजस्‍थान  | 58.65 | 23.35 | 9.13 |
| 30 | सिक्‍किम  | 0 | 0 | 0 |
| 31 | तमिलनाडु  | 120.63 | 38.53 | 12.48 |
| 32 | तेलंगाना  | 0 | 74.85 | 63.24 |
| 33 | त्रिपुरा  | 0 | 0 | 0 |
| 34 | उत्‍तर प्रदेश  | 144.39 | 247.03 | 1490.89 |
| 35 | उत्‍तराखंड  | 0 | 60.91 | 3.63 |
| 36 | पश्‍चिम बंगाल  | 128.81 | 74.18 | 154.48 |
| 37 | अल्‍पावास गृह के लिए सीएसडब्‍ल्‍यूबी | 3355.57 | 1195.06 | 2521.25 |
|  | **कुल**  | **5074.11** | **2855.38** | **4857.82** |

**\*\*\*\*\*\***